

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
SECRETARIAT ESTABLISHMENT ORGANIZATION
(IN ESTABLISHMENT-I BRANCH)

Notification

The 5th May, 2016

No. G.S.R. 10/Const./Art.309/2016.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Civil Secretariat (State Service Class III) Rules, 1952, in their application to the State of Haryana, namely:—

1. These rules may be called the Punjab Civil Secretariat (State Service Class III) (Haryana Amendment) Rules, 2016.
2. In the Punjab Civil Secretariat (State Service Class III) Rules, 1952, in rule 5,—
 - (i) in clause (f), for the words, "If appointed by promotion from amongst Clerks", the words, "If appointed by promotion from amongst Junior Scale Stenographer" shall be substituted; and
 - (ii) in clause (fa), for the words, "If appointed by promotion from amongst Clerks", the words, "If appointed by promotion from amongst Steno Typist" shall be substituted.

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

भाग-III

हरियाणा सरकार

सचिवालय स्थापना संगठन

(स्थापना-1 शाखा में)

अधिसूचना

दिनांक 5 मई, 2016

संख्या सा.का.नि. 10/संवि०/अनुच्छेद 309/2016.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा श्रेणी-III) नियम, 1952, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. ये नियम पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा श्रेणी-III) (हरियाणा संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा श्रेणी-III) नियम, 1952 में, नियम 5 में—

- (i) खण्ड (ड) में, “यदि लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है तो,”—शब्दों के स्थान पर, “यदि कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है तो” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
- (ii) खण्ड (डक) में, “यदि लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है तो,”—शब्दों के स्थान पर, “यदि आशु टंक में से पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है तो” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

डी० एस० देसी,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

भाग-III

हरियाणा सरकार
सचिवालय स्थापना संगठन
(स्थापना-1 शाखा में)
अधिसूचना
दिनांक 18 सितम्बर, 2015

संख्या सा.का.नि. 21/संवि/अनुच्छेद 309/2015.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा श्रेणी-III) नियम, 1952, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. ये नियम पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा श्रेणी-III) (हरियाणा संशोधन) नियम, 2015, कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा श्रेणी-III) नियम, 1952 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में, खण्ड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्—

*(ड.) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	यदि सीधी भर्ती अथवा हरियाणा सिविल सचिवालय से अन्यथा किसी सरकारी विभाग से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किया है तो, — (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रथम श्रेणी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ; भूतपूर्व सैनिकों के लिए— 10+2 या सेना में पन्द्रह वर्ष की सेवा तथा सेना का प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्र; यदि लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है तो,— (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रथम श्रेणी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ;	आयोग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा अर्हक की हो, जिसके लिए विनियम परिशिष्ट क में है।
(ड.क) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	यदि सीधी भर्ती अथवा हरियाणा सिविल सचिवालय से अन्यथा किसी सरकारी विभाग से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किया है तो, — (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रथम श्रेणी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ; भूतपूर्व सैनिकों के लिए— 10+2 या सेना में पन्द्रह वर्ष की सेवा तथा सेना का प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्र; यदि लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है तो,—	आयोग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा अर्हक की हो, जिसके लिए विनियम परिशिष्ट क में है।

	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रथम श्रेणी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ;	
(ड.ख) आशुटकक	यदि सीधी भर्ती अथवा हरियाणा सिविल सचिवालय से अन्यथा किसी सरकारी विभाग से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किया है तो, - (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रथम श्रेणी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ; भूतपूर्व सैनिकों के लिए— 10+2 या सेना में पन्द्रह वर्ष की सेवा तथा सेना का प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्र; यदि लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है तो,— (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रथम श्रेणी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ।	आयोग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा अर्हक की हो, जिसके लिए विनियम परिशिष्ट क में है ।”

3. उक्त नियमों में, नियम 6 के उप नियम (1) में, खण्ड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड, प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ड.) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक तथा आशुटकक के मामले में उनमें से चयन द्वारा जिन्होंने क्रमशः नियम 5(ड.), (ड.क) तथा (ड.ख) में निर्दिष्ट टेस्ट अर्हक किया है ।”

4. उक्त नियमों में,—

परिशिष्ट क तथा ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

*परिशिष्ट क

हरियाणा सिविल सचिवालय में वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों तथा आशुटककों की अर्हक परीक्षा को शासित करने वाले नियम।

- (1) परीक्षा उम्मीदवारों की तकनीकी तथा व्यक्तिगत गुणवत्ता का पता लगाने के लिए अर्हक टेस्ट डिजाईन किया गया है तथा मुख्य सचिव को क्रमशः वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक तथा आशुटकक के रूप में सचिवालय में उसकी कुल सेवा अवधि तथा सेवा रिकार्ड सहित जिसने परीक्षा पास की हो मैरिट क्रम के सम्बन्ध में किसी अर्हक उम्मीदवार का चयन करने का अधिकार है।
- (2) परीक्षा में निम्नलिखित शामिल होगा,—

वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक हेतु—

- (i) 100 शब्द प्रति मिनट से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रतिलेखन।
4 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए ; तथा
- (ii) 80 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रतिलेखन।
4 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए।

कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक हेतु—

- (i) 100 शब्द प्रति मिनट से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रतिलेखन।
8 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए; तथा
- (ii) 80 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रतिलेखन।
8 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए।

आशुटकक हेतु—

- (i) 80 शब्द प्रति मिनट से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रतिलेखन।
8 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए; तथा
- (ii) 64 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रतिलेखन।
8 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए।
- (iii) ड्राफ्टिंग।

परिशिष्ट ख

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1.	उप अधीक्षक	14	2	16	पी.बी.-2 ₹ 9300-34800 जमा ₹ 4200/-ग्रेड वेतन
2.	निजी सहायक	62	44	106	पी.बी.-2 ₹ 9300-34800 जमा ₹ 4200/-ग्रेड वेतन
3.	सहायक	374	86	460	पी.बी.-2 ₹ 9300-34800 जमा ₹ 4000/-ग्रेड वेतन
4.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	42	12	54	पी.बी.-2 ₹ 9300-34800 जमा ₹ 4000/-ग्रेड वेतन
5.	सांख्यिकीय सहायक	1	—	1	पी.बी.-2 ₹ 9300-34800 जमा ₹ 3600/-ग्रेड वेतन जमा ₹ 60/- विशेष वेतन
6.	लेखपाल	—	2	2	पी.बी.-2 ₹ 9300-34800 जमा ₹ 3600/-ग्रेड वेतन जमा ₹ 60/- विशेष वेतन
7.	तकनीकी सहायक	1	—	1	पी.बी.-2 ₹ 9300-34800 जमा ₹ 3600/-ग्रेड वेतन जमा ₹ 60/- विशेष वेतन
8.	वरिष्ठ अनुवादक	2	—	2	पी.बी.-2 ₹ 9300-34800 जमा ₹ 3600/-ग्रेड वेतन जमा ₹ 80/- विशेष वेतन
9.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	12	18	30	पी.बी.-1 ₹ 5200-20200 जमा ₹ 2400/-ग्रेड वेतन जमा ₹ 40 विशेष वेतन
10.	फर्नीचर सुपरवाइजर	1	—	1	पी.बी.-1 ₹ 5200-20200 जमा ₹ 2400/-ग्रेड वेतन जमा ₹ 30 विशेष वेतन
11.	ड्राइवर	37	11	48	पी.बी.-1 ₹ 5200-20200 जमा ₹ 2400/-ग्रेड वेतन जमा ₹ 300 विशेष वेतन
12.	टेलीफोन अटेंडेंट	5	—	5	पी.बी.-1 ₹ 5200-20200 जमा ₹ 2400/-ग्रेड वेतन जमा ₹ 80 विशेष वेतन
13.	आशुटकक	87	29	116	पी.बी.-1 ₹ 5200-20200 जमा ₹ 1900/-ग्रेड वेतन जमा ₹ 100 विशेष वेतन
14.	लिपिक	289	77	366	पी.बी.-1 ₹ 5200-20200 जमा ₹ 1900/-ग्रेड वेतन जमा ₹ 40 विशेष वेतन

15.	पुस्तकालय/रिकार्ड सैल्फ सुपरवाइजर	1	—	1	पी.बी.-1 ₹ 5200-20200 जमा ₹ 1900/-ग्रेड वेतन जमा ₹ 30 विशेष वेतन
16.	फोतेदार	1	—	1	पी.बी.-1 ₹ 5200-20200 जमा ₹ 1900/-ग्रेड वेतन जमा ₹ 40 विशेष वेतन
17.	कैश एवं बिल मैसेंजर	1	—	1	पी.बी.-1 ₹ 5200-20200 जमा ₹ 1900/-ग्रेड वेतन जमा ₹ 100 विशेष वेतन
18.	रिस्टोरर	19	—	19	पी.बी.-1 ₹ 5200-20200 जमा ₹ 1900/-ग्रेड वेतन जमा ₹ 30 विशेष वेतन।
19.	बुक बाइंडर	1	—	1	पी.बी.-1 ₹ 5200-20200 जमा ₹ 1800/-ग्रेड वेतन जमा ₹ 30 विशेष वेतन

(ii) परिशिष्ट ग में "पदनाम" शीर्ष के नीचे, मद (ज) तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

- (ज) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक
- (जक) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक
- (जख) आशुटकक।।

डी० एस० ढेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
SECRETARIAT ESTABLISHMENT ORGANIZATION
(IN ESTABLISHMENT-I BRANCH)

Notification

The 18th September, 2015

No. G.S.R.21/Const./Art.309/2015.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Civil Secretariat (State Service Class III) Rules, 1952, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Civil Secretariat (State Service Class III) (Haryana Amendment) Rules, 2015.

2. In the Punjab Civil Secretariat (State Service Class III) Rules, 1952, (hereinafter called the said rules), in rule 5, for clause (f), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(f) Senior Scale Stenographer	If appointed by direct recruitment or by transfer from Government Departments other than the Haryana Civil Secretariat,- (i) 10+2 with first division from a recognized Board or Graduate or it's equivalent from recognized University; and (ii) Hindi/ Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education; For Ex-Servicemen :- 10+2 or fifteen years Service in Army and Army Certificate Class I; If appointed by promotion from amongst Clerks; (i) 10+2 with first division from a recognized Board or Graduate or it's equivalent from recognized University; and (ii) Hindi/Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education.	Qualifies in a departmental test conducted by the Commission, the regulation of which are contained in Appendix A.
(fa) Junior Scale Stenographer	If appointed by direct recruitment or by transfer from Government Departments other than the Haryana Civil Secretariat,- (i) 10+2 with first division from a recognized Board or Graduate or it's equivalent from recognized University; and (ii) Hindi/ Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education; For Ex-Servicemen :- 10+2 or fifteen years Service in Army and Army Certificate Class I; If appointed by promotion from amongst Clerks; (i) 10+2 with first division from a recognized Board or Graduate or it's equivalent from recognized University; and (ii) Hindi/Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education.	Qualifies in a departmental test conducted by the Commission, the regulation of which are contained in Appendix A.
(fb) Steno Typist	If appointed by direct recruitment or by transfer from Government Departments other than the Haryana Civil Secretariat,- (i) 10+2 with first division from a recognized Board or Graduate or it's equivalent from recognized University; and (ii) Hindi/ Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education; For Ex-Servicemen :- 10+2 or fifteen years Service in Army and Army Certificate Class I; If appointed by promotion from amongst Clerks; (i) 10+2 with first division from a recognized Board or Graduate or it's equivalent from recognized University; and (ii) Hindi/Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education.	Qualifies in a departmental test conducted by the Commission, the regulation of which are contained in Appendix A.”.

3. In the said rule, in Sub-rule (1) of rule 6, for clause (e), the following clause shall be substituted, namely :-
- “(e) In the case of Senior Scale Stenographer, Junior Scale Stenographer and Steno Typist by selection among those who have qualified test referred to in rule-5 (f), (fa) and (fb) respectively.”
4. In the said rules-
- (i) For Appendix A and B, the following Appendices shall be substituted, namely:-

“Appendix A

Rules governing the qualifying examination of Senior Scale Stenographer, Junior Scale Stenographer and Steno Typist in the Haryana Civil Secretariat.

(1) The examination is a qualifying test designed to discover the technical and personal qualities of the candidates and Chief Secretary has the right to select any qualified candidate with due regard to order of merit he may attain at the examination, plus his total length of service in the Secretariat as Senior Scale Stenographer, Junior Scale Stenographer and Steno Typist respectively and record of the service.

(2) The test will consist of-

For Senior Scale Stenographer,-

- (i) English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute. Mistakes should not exceed 4 per cent ; and
- (ii) Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute. Mistakes should not exceed 4 per cent.

For Junior Scale Stenographer,-

- (i) English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute. Mistakes should not exceed 8 per cent ; and
- (ii) Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute. Mistakes should not exceed 8 per cent.

For Steno Typist,-

- (i) English Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute. Mistakes should not exceed 8 per cent ; and
- (ii) Hindi Shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute. Mistakes should not exceed 8 per cent.
- (iii) Drafting.

APPENDIX B

Sr. No.	Designation of the posts	Number of posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1.	Deputy Superintendent	14	2	16	PB-2, ₹ 9300-34800 + ₹ 4200 Grade Pay
2.	Personal Assistant	62	44	106	PB-2, ₹ 9300-34800+ ₹ 4200 Grade Pay
3.	Assistant	374	86	460	PB-2, ₹ 9300-34800 + ₹ 4000 Grade Pay
4.	Senior Scale Stenographer	42	12	54	PB-2, ₹ 9300-34800+ ₹ 4000 Grade Pay
5.	Statistical Assistant	1	0	1	PB-2, ₹ 9300-34800+ ₹ 3600 Grade Pay + ₹ 60/- Special Pay.
6.	Accountant	-	2	2	PB-2, ₹ 9300-34800+ ₹ 3600 Grade Pay + ₹ 60/- Special Pay.
7.	Technical Assistant	1	-	1	PB-2, ₹ 9300-34800+ ₹ 3600 Grade Pay + ₹ 60/- Special Pay.
8.	Senior Translator	2	-	2	PB-2, ₹ 9300-34800 + ₹ 3600 Grade Pay + ₹ 80/- Special Pay.
9.	Junior Scale Stenographer	12	18	30	PB-1, ₹ 5200-20200+ ₹ 2400 Grade Pay+ ₹ 40/- Special Pay.
10.	Furniture Supervisor	1	-	1	PB-1, ₹ 5200-20200+ ₹ 2400 Grade Pay+ ₹ 30/- Special Pay.
11.	Driver	37	11	48	PB-1, ₹ 5200-20200+ ₹ 2400 Grade Pay+ ₹ 300/- Special Pay.

12.	Telephone Attendant	5	-	5	PB-1, ₹ 5200-20200+ ₹ 2400 Grade Pay+ ₹ 80/- Special Pay.
13.	Steno Typist	87	29	116	PB-1, ₹ 5200-20200+ ₹ 1900 Grade Pay+ ₹ 100 Special Pay.
14.	Clerk	289	77	366	PB-1, ₹ 5200-20200+ ₹ 1900 Grade Pay+ ₹ 40/- Special Pay.
15.	Library/Record shelf Supervisors	1	-	1	PB-1, ₹ 5200-20200+ ₹ 1900 Grade Pay+ ₹ 30/- Special Pay.
16.	Photodar	1	-	1	PB-1, ₹ 5200-20200+ ₹ 1900 Grade Pay+ ₹ 40/- Special Pay.
17.	Cash and Bill Messenger	1	-	1	PB-1, ₹ 5200-20200+ ₹ 1900 Grade Pay+ ₹ 100/- Special Pay.
18.	Restorer	19	-	19	PB-1, ₹ 5200-20200+ ₹ 1900 Grade Pay+ ₹ 30/- Special Pay.
19.	Book Binder	1	-	1	PB-1, ₹ 5200-20200+ ₹ 1800 Grade Pay+ ₹ 30/- Special Pay."

- (ii) In Appendix C, under the heading "Designation of official", for item (h) and entry thereagainst, the following items and entry thereagainst shall be substituted, namely:-

"(h) Senior Scale Stenographer
(ha) Junior Scale Stenographer
(hb) Steno Typist."

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government Haryana.